राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर

क्रमांक 4426 दिनांक 29/10/26

आम सूचना

इस आम सूचना के जरिए जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण संख्या **S.B. Arbitration Enforcement Application 26/2017** अनवान **Maximus Internation General Trading LLC V/s R.K. Industries** में निम्नलिखित अचल संपत्तियों की नीलामी उनके आगे अंकित दिनांक एवं समय पर मौके पर की जाएगी :–

01. क्रम संख्या 1, 5, 6 व 7 पर अंकित संपत्ति कृषि भूखण्ड संख्या 106 से 125 जो महावीर एक्लेवर खसरा नम्बर 242 ग्राम नेतडा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर पर स्थित है।
नीलामी दिनांक 03.11.2026 समय 01:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक

02. क्रम संख्या 13 पर अंकित संपत्ति एक दुकान संख्या 17, जो आशापूर्णा वैली ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है।
नीलामी दिनांक 04.11.2026 समय 01:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक

नीलाम की जाने वाली संपत्तियों की विस्तृत जानकारी एवं जिन नियम व शर्तों के अधीन नीलामी की जावेगी उस संबंध में विस्तृत जानकारी राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

26/10/2026

रजिस्ट्रार (न्यायिक)
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर

Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR.

26/10/26

इश्तहार नीलाम

(आदेश 21 नियम 66 जब्ता दीवानी)

राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर

क्रमांक 2320 दिनांक 16/10/26 प्रेषित R.H.C. Jod.

Maximus Internation General Trading LLC

V/s

R.K. Industries

S.B. Arbitration Enforcement Application 26/2017

संलग्न नोटिस वास्ते वाद कार्यवाही वाद रिपोर्ट तामील कुनिन्दा प्रेषित है।

सहायक परिसेवी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर

(1) P.J. van Grutten Esq. (Chairman) के द्वारा विनिश्चित Arbitration Award dated 03.07.2017 जिसमें प्रार्थी **Maximus Internation General Trading LLC** था और अप्रार्थी **R.K. Industries** था।

यह सूचना दी जाती है कि इस न्यायालय ने उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित संपत्ति का, पार्श्व में वर्णित वाद 1 में प्रार्थी के दावे की, खर्चों और नीलामी की तारीख तक के ब्याज सहित $1,11,0401.41+£11,223.00(क्रमशः 10,63,11,108.00 रूपये + 14,23,619.00 रूपये (आज के विनिमय दर अनुसार))की राशि का है तुष्टि में नीलामी करने के लिए आदेश दिया गया है।

नीलामी लोक नीलाम द्वारा किया जाएगा और संपत्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में नीलामी के लिए रखी जाएगी। विक्रय उकत निर्णीतऋणियों की उस संपत्ति का होगा जो निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित है, उक्त संपत्ति में संलग्न दायित्व और दावे, जहां तक कि उनका अभिनिश्चय किया जा सका है, वे है, जो हर एक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

जब तक मुल्तवी करने का आदेश न किया जाए यह **नीलामी तारीख 03.11.2026 को 01:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक मौके पर** प्रारम्भ होने वाली नीलामी में नीलाम किया जाएगा। किन्तु यदि ऊपर विनिर्दिष्ट ऋण और नीलामी के खर्चे किसी लाट के लिए बोली अन्तिम होने के पूर्व निविदत्त या संदत्त कर दिए जाते हैं तो नीलामी बन्द कर दिया जाएगा।

नीलामी में सर्वसाधारण को या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिए निमंत्रित किया जाता है। किन्तु उपरिवर्णित निर्णीत लेनदारों द्वारा या उनके निमित्त लगाई गई कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी और न्यायालय द्वारा पहले से दी गई अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना उनको किया गया नीलाम विधिमान्य न होगा। नीलामी की अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित हैं:–

<u>नीलामी की शर्तें</u>

1. निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां कार्यालय की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखी गई हैं, किन्तु इस उद्घोषणा में किसी गलती, अशुद्ध कथन या लोप के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

2. नीलाम की जाने वाली संपत्तियों की **न्यूनतम कीमत अक्षरे दस लाख रूपये तय की गई है जो बोली अक्षरे रूपए बीस हजार के गुणक से बढाई जावेगी।** यदि लगाई गई बोली की रकम के बारे में या बोली लगाने वाले के बारे में कोई विवाद पैदा होता है तो तुरन्त पुनः बोली लगवाई जावेगी।

3. **उक्त नीलामी भाग लेने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि के रूप में अक्षरे रूपए बीस हजार रूपये का बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम का रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर के कार्यालय में नीलामी तारीख से एक दिवस पूर्व 03:00 बजे अपराह्न तक जमा कराना होगा तभी नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।**

4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमा कराए गये बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट की एक स्वप्रमाणित प्रति एवं अपना कोई पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड) जिसमें उसके वर्तमान निवास स्थान का पता दर्ज हो की स्वप्रमाणित प्रति बैंकर ड्राफ्ट जमा कराते समय साथ में प्रस्तुत करनी होगी इन स्वप्रमाणित प्रतियों के अभाव में धरोहर राशि के रूप में जमा कराए जाने वाले बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।

5. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष सभी बोलीदाताओं के बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट नीलामी समय समाप्ति के पश्चात् मौके पर ही बऐवज रसीद संबंधित बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

6. यह बात नीलाम करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में होगी कि वह सबसे उच्चतम बोली को स्वीकार करने से उस दशा में इनकार कर दे जिसमें लगाई गई कीमत स्पष्टतः इतनी अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसे इनकार करना वांछनीय हो जाता है।

7. नीलामी संचालित करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में यह बात होगी कि ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे वह नीलामी को आदेश 21 के नियम 69 के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए स्थगित कर दें।

8. **स्थावर संपत्ति की दशा में, जिस बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली लगाई जाएगी उसे नीलामी समय समाप्ति पश्चात् उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि का समायोजन करने के पश्चात् उच्चतम बोली की पच्चीस प्रतिशत राशि अगले कार्यदिवस तक बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम का रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय,मुख्य पीठ, जोधपुर के कार्यालय में जमा कराना होगा। यदि अगले दिवस को अवकाश होने की स्थिति में कार्यालय खुलने के प्रथम कार्यदिवस को कार्यालय समय में जमा कराना होगा। ऐसा करने में व्यतिक्रम होने पर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी व संपत्ति पुनः नीलाम पर चढाई जाएगी।**

9. **उच्चतम बोली को अंतिम करने का विवेकाधिकार रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय,मुख्य पीठ, जोधपुर को होगा।**

10. **उच्चतम बोलीदाता को नीलामी अंतिम होने पर, अंतिम होने की दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर उच्चतम बोली की बकाया 75 प्रतिशत राशि बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम का रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर के कार्यालय में जमा कराना होगा। यदि अगले दिवस को अवकाश होने की स्थिति में कार्यालय खुलने के प्रथम कार्यदिवस को कार्यालय समय में जमा कराना होगा। ऐसा करने में**

व्यतिक्रम होने पर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी व संपत्ति पुनः नीलाम पर चढाई जाएगी।

11. बकाया रकम का संदाय आदेशित अवधि के अन्दर करने में व्यतिक्रम होने पर संपत्ति का पुनः नीलाम की अधिसूचना निकाली जाने के पश्चात् किया जाएगा। जब्त की गई राशि पर बोलीदाता का कोई क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा।

आज दिनांक 12-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर मय मोहर के जारी किया गया।

Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR.

नीलाम की जाने वाली संपत्तियों का विवरणः–

संपत्ति संख्या 01. अप्रार्थी राकेश कुमार जैन पुत्र गौतमचंद जैन की खरीदसूदा कृषि भूखण्ड संख्या 107 से 114 महावीर एक्लेवर खसरा नम्बर 242 ग्राम नेतडा तहसील भोपालगढ पर स्थित है जिसके पडौस व नाप इस प्रकार हैः–

पडौस

उत्तर में– भूखण्ड संख्या 115
दक्षिण में– भूखण्ड संख्या 106
पूर्व में– भूखण्ड संख्या 117 से 124
पश्चिम में– रास्ता 30 फुट

नापः–

प्रत्येक भूखण्ड नाप 25 बाई 50 = 1250 वर्गफुट यानि 138.88 वर्गगज
कुल नाप 10000 वर्गफुट यानि 1111.11 वर्गगज रकबा 11.478 बिस्वा

संपत्ति संख्या 05. अप्रार्थी राकेश कुमार जैन पुत्र गौतमचंद जैन की खरीदसूदा कृषि भूखण्ड संख्या 117 से 124 महावीर एक्लेवर खसरा नम्बर 242 ग्राम नेतडा तहसील भोपालगढ पर स्थित है जिसके पडौस व नाप इस प्रकार हैः–

पडौस

उत्तर में– भूखण्ड संख्या 116
दक्षिण में– भूखण्ड संख्या 125
पूर्व में– रास्ता 30 फुट
पश्चिम में– भूखण्ड 107 से 124

नापः–

प्रत्येक भूखण्ड नाप 25 बाई 50 = 1250 वर्गफुट यानि 138.88 वर्गगज
कुल नाप 10000 वर्गफुट यानि 1111.11 वर्गगज रकबा 11.478 बिस्वा

संपत्ति संख्या 06. अप्रार्थी राकेश कुमार जैन पुत्र गौतमचंद जैन की खरीदसूदा कृषि भूखण्ड संख्या 115 व 116 महावीर एक्लेवर खसरा नम्बर 242 ग्राम नेतडा तहसील भोपालगढ पर स्थित है जिसके पडौस व नाप इस प्रकार है:–

पडौस

उत्तर में– रास्ता 40 फुट
दक्षिण में– भूखण्ड संख्या 114 व 117
पूर्व में– रास्ता 30 फुट
पश्चिम में– रास्ता 30 फुट

नाप:–

प्रत्येक भूखण्ड नाप 30 बाई 50 = 1500 वर्गफुट यानि 166.66 वर्गगज़
कुल नाप 3000 वर्गफुट यानि 333.33 वर्गगज रकबा 3.443 बिस्वा

संपत्ति संख्या 07. अप्रार्थी राकेश कुमार जैन पुत्र गौतमचंद जैन की खरीदसूदा कृषि भूखण्ड संख्या 106 व 125 महावीर एक्लेवर खसरा नम्बर 242 ग्राम नेतडा तहसील भोपालगढ पर स्थित है जिसके पडौस व नाप इस प्रकार है:–

पडौस

उत्तर में– भूखण्ड संख्या 107 एवं 124
दक्षिण में– रास्ता 30 फुट
पूर्व में– रास्ता 30 फुट
पश्चिम में– रास्ता 30 फुट

नाप:–

प्रत्येक भूखण्ड नाप 25 बाई 50 = 1250 वर्गफुट यानि 138.88 वर्गगज
कुल नाप 2500 वर्गफुट यानि 277.77 वर्गगज रकबा 2.869 बिस्वा

Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR

"MAHAVEER - ENCLAVE"

PROPOSED RESIDENTIAL SCHEME ON KHASRA NO. 242 OF VILLAGE NETRD TEH. BHOPALGARH AT JODHPUR

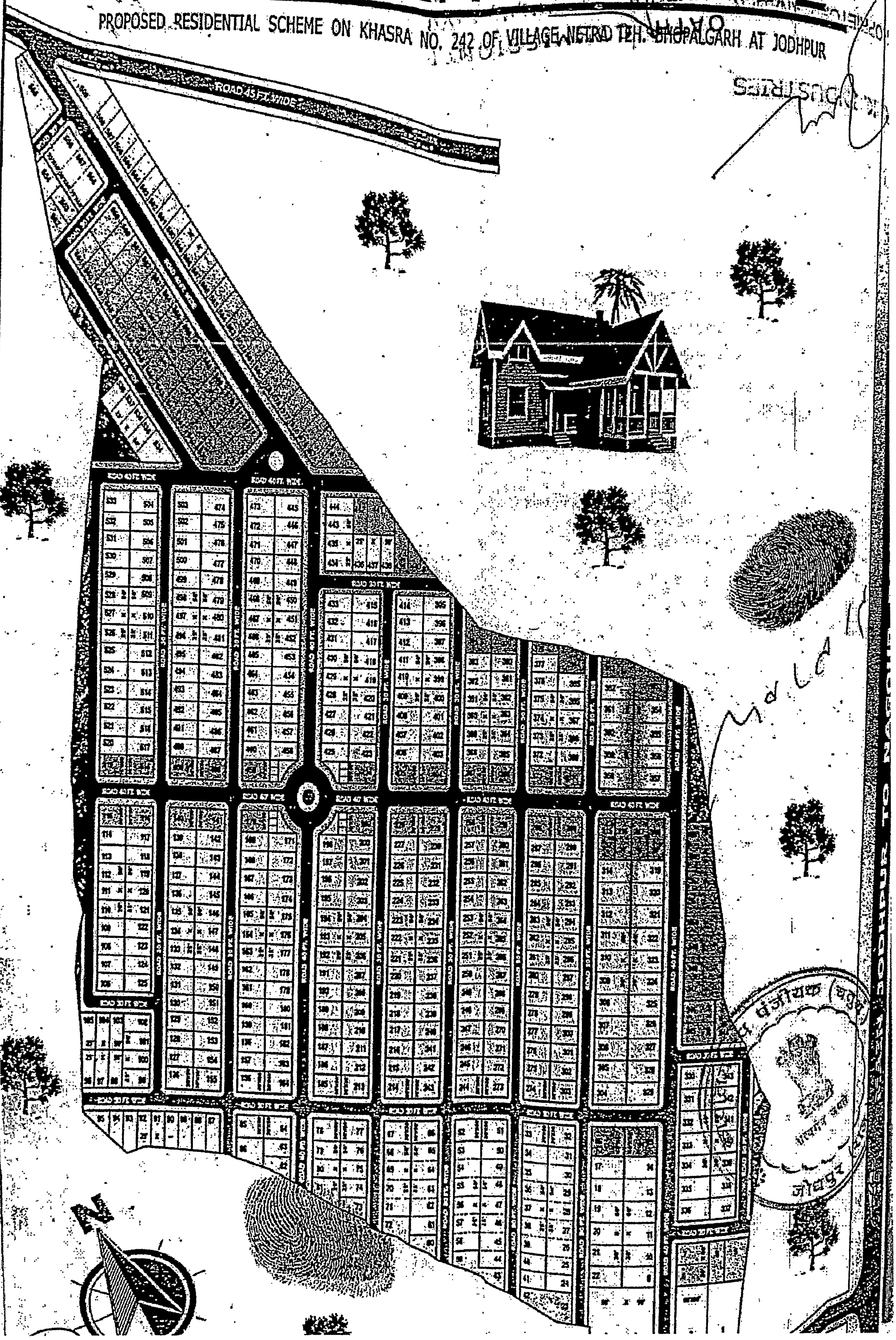

नक़ल रूपान्तरण रजिस्टर ग्राम नेतड़ा .... पटवार हल्का नेतड़ा ...... भू. अ. निरीक्षक हल्का [illegible] तहसील [illegible] जिला जोधपुर राजस्थान

वर्तमान जमाबन्दी (खतौनी) में वृद्धि किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रविष्टि						जमाबन्दी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रस्तावित नई प्रविष्टि							
खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि (मृदा) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विशिष्टियों सहित खातेदार का नाम	नामान्तरण संख्या	विशिष्टियों सहित खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि (मृदा) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विक्रय/वसीयत या अन्य प्रकार के अन्तरण का स्वरूप, रजिस्ट्री कराने का स्वरूप तथा तारीख ... नामान्तरण फीस	समस्त खसरा नम्बर ... जिस पर भौतिक ...	टिप्पणियां कब्जे आदि के बारे में, स्थल ... पटवारी की रिपोर्ट ... प्रविष्टियों के अभिलेख ... निरीक्षण की रिपोर्ट
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(1) [illegible] ... 2×50×60=3600 ... (2) [illegible] ... (3) [illegible] ... (4) [illegible] ... 15.224 बिस्वा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(आपूराम देवासी)
सरपंच
ग्राम पंचायत, नेतड़ा
प. स. बावड़ी (जोधपुर)

पटवारी
प. ह. नेतड़ा

OATH COMMISSIONER
REVENUE, CRIMINAL, CIVIL
RAJ. HIGH COURT

For R... INDUSTRIES
PROPRIETOR/MANAGER

11-2003-22,000

इश्तहार नीलाम

(आदेश 21 नियम 66 जब्ता दीवानी)

24601
14.10.26

राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर

16/10/26

क्रमांक 2319 दिनांक.........

3406
17/10

Maximus Internation General Trading LLC प्रेषित.........

V/s

R.H.C Jod.

R.K. Industries

संलग्न नोटिस वारन्ट वाद कार्यवाही बाद रिपोर्ट तामील कुनिन्दा प्रेषित है।

S.B. Arbitration Enforcement Application 26/2017

सहायक परिसेवी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जोधपुर महानगर

(1) P.J. van Grutten Esq. (Chairman) के द्वारा विनिश्चित Arbitration Award dated 03.07.2017 जिसमें प्रार्थी **Maximus Internation General Trading LLC** था और अप्रार्थी **R.K. Industries** था।

यह सूचना दी जाती है कि इस न्यायालय ने उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित संपत्ति का, पार्श्व में वर्णित वाद 1 में प्रार्थी के दावे की, खर्चों और नीलामी की तारीख तक के ब्याज सहित $1,11,0401.41+£11,223.00(क्रमशः 10,63,11,108.00 रूपये + 14,23,619.00 रूपये (आज के विनिमय दर अनुसार))की राशि का है तुष्टि में नीलामी करने के लिए आदेश दिया गया है।

2234
14/10/26

नीलामी लोक नीलाम द्वारा किया जाएगा और संपत्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में नीलामी के लिए रखी जाएगी। विक्रय उक्त निर्णीतऋणियों की उस संपत्ति का होगा जो निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित है, उक्त संपत्ति में संलग्न दायित्व और दावे, जहां तक कि उनका अभिनिश्चय किया जा सका है, वे है, जो हर एक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

जब तक मुल्तवी करने का आदेश न किया जाए यह **नीलामी तारीख 04.11.2026 को 01:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक मौके पर** प्रारम्भ होने वाली नीलामी में नीलाम किया जाएगा। किन्तु यदि ऊपर विनिर्दिष्ट ऋण और नीलामी के खर्चे किसी लाट के लिए बोली अन्तिम होने के पूर्व निविदत्त या संदत्त कर दिए जाते हैं तो नीलामी बन्द कर दिया जाएगा।

नीलामी में सर्वसाधारण को या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिए निमंत्रित किया जाता है। किन्तु उपरिवर्णित निर्णीत लेनदारों द्वारा या उनके निमित्त लगाई गई कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी और न्यायालय द्वारा पहले से दी गई अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना उनको किया गया नीलाम विधिमान्य न होगा। नीलामी की अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित हैः-

नीलामी की शर्तें

1. निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां कार्यालय की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखी गई हैं, किन्तु इस उद्‌घोषणा में किसी गलती, अशुद्ध कथन या लोप के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

2. नीलाम की जाने वाली संपत्तियों की न्यूनतम कीमत अक्षरे बीस लाख रूपये तय की गई है जो बोली अक्षरे रूपए पच्चीस हजार के गुणक से बढाई जावेगी। यदि लगाई गई बोली की रकम के बारे में या बोली लगाने वाले के बारे में कोई विवाद पैदा होता है तो तुरन्त पुनः बोली लगवाई जावेगी।

3. उक्त नीलामी भाग लेने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि के रूप में अक्षरे रूपए चालीस हजार रूपये का बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम का रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर के कार्यालय में नीलामी तारीख से एक दिवस पूर्व 03:00 बजे अपराह्न तक जमा कराना होगा तभी नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।

4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमा कराए गये बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट की एक स्वप्रमाणित प्रति एवं अपना कोई पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड) जिसमें उसके वर्तमान निवास स्थान का पता दर्ज हो की स्वप्रमाणित प्रति बैंकर ड्राफ्ट जमा कराते समय साथ में प्रस्तुत करनी होगी इन स्वप्रमाणित प्रतियों के अभाव में धरोहर राशि के रूप में जमा कराए जाने वाले बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।

5. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष सभी बोलीदाताओं के बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट नीलामी समय समाप्ति के पश्चात् मौके पर ही बऐवज रसीद संबंधित बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

6. यह बात नीलाम करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में होगी कि वह सबसे उच्चतम बोली को स्वीकार करने से उस दशा में इनकार कर दे जिसमें लगाई गई कीमत स्पष्टतः इतनी अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसे इनकार करना वांछनीय हो जाता है।

7. नीलामी संचालित करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में यह बात होगी कि ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे वह नीलामी को आदेश 21 के नियम 69 के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए स्थगित कर दें।

8. स्थावर संपत्ति की दशा में, जिस बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली लगाई जाएगी उसे नीलामी समय समाप्ति पश्चात् उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि का समायोजन करने के पश्चात् उच्चतम बोली की पच्चीस प्रतिशत राशि अगले कार्यदिवस तक बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम का रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय,मुख्य पीठ, जोधपुर के कार्यालय में जमा कराना होगा। यदि अगले दिवस को अवकाश होने की स्थिति में कार्यालय खुलने के प्रथम कार्यदिवस को कार्यालय समय में जमा कराना होगा। ऐसा करने में व्यतिक्रम होने पर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी व संपत्ति पुनः नीलाम पर चढाई जाएगी।

9. उच्चतम बोली को अंतिम करने का विवेकाधिकार रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय,मुख्य पीठ, जोधपुर को होगा।

10. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी अंतिम होने पर, अंतिम होने की दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर उच्चतम बोली की बकाया 75 प्रतिशत राशि बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम का रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर के कार्यालय में जमा कराना होगा। यदि अगले दिवस को अवकाश होने की स्थिति में कार्यालय खुलने के प्रथम कार्यदिवस को कार्यालय समय में जमा कराना होगा। ऐसा करने में

व्यतिक्रम होने पर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी व संपत्ति पुनः नीलाम पर चढाई जाएगी।

11. बकाया रकम का संदाय आदेशित अवधि के अन्दर करने में व्यतिक्रम होने पर संपत्ति का पुनः नीलाम की अधिसूचना निकाली जाने के पश्चात् किया जाएगा। जब्त की गई राशि पर बोलीदाता का कोई क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा।

आज दिनांक 12/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर मय मोहर के जारी किया गया।

12/10/2026
Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR

नीलाम की जाने वाली संपत्ति का विवरणः—

अप्रार्थी राकेश कुमार जैन पुत्र गौतमचंद जैन की एक दुकान संख्या 17 जो आशापूर्णा वेली, ग्राम झालामंड, तहसील व जिला जोधपुर पर स्थित है जिसके पडौस व नाप निम्न प्रकार हैः—

पडौस

उत्तर में— व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 16
दक्षिण में— व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 18
पूर्व में— खुली भूमि
पश्चिम में— बरामदा व पार्किंग स्थल

नाप

उत्तर— 20 फुट
दक्षिण— 20 फुट
पूर्व — 10 फुट
पश्चिम — 10 फुट

कुल क्षेत्रफल— 200 वर्गफुट
निर्मित क्षेत्रफल— 200 वर्गफुट

12/10/2026
Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR

उच्च न्यायालय ... जोधपुर

149

SITE PLAN FOR LEASE DEED OF P.No. 10 TO 20C. COMMERCIAL KHASRA NO. 18 AT ASHAPURNA VALLEY JHALAMAND JODHPUR. SCALE 1"=20ft

AREA = 3450.00 SQ.FT.
= 383.33 SQ.YD (3'X3')

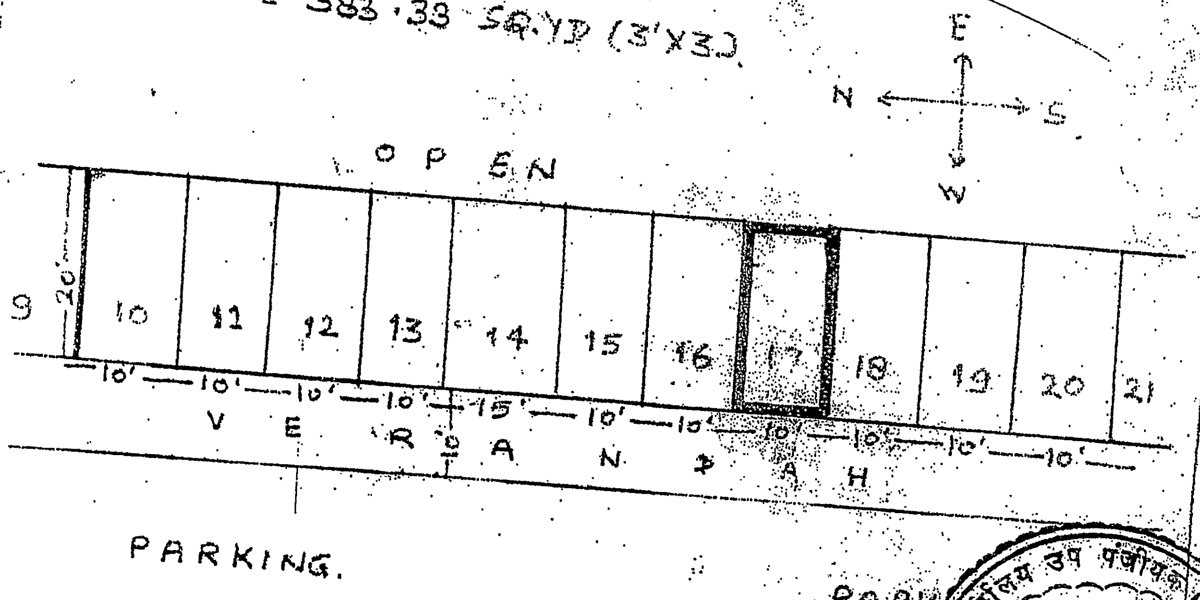

उप नगर नियोजक नगर सुधार न्यास जोधपुर	सचिव नगर विकास न्यास जोधपुर	अध्यक्ष नगर सुधार न्यास, जोधपुर

कार्यालय उप पंजीयक (तृतीय) जोधपुर (राज.)

For R. K. INDUSTRIES
PROPRIETOR/MANAGER

OATH COMMISSIONER
REVENUE, CRIMINAL, CIVIL
RAJ. HIGH COURT, JODHPUR